

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक 29 दिसम्बर, 1995

पारपत्र

विषय:- उन छात्रों की आवृत्ति की मंजूरी जिनके आय कमाने वाले माता-पिता की मृत्यु के कारण परिवार की आय अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर आवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत निर्धारित आय सीमा के भीतर हो जाती हो।

इस मंत्रालय में इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मद्रास के डिप्टी रजिस्ट्रार स्कैड 8 का तदनांक 27.11.95 का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसकी संख्या एफ. स्कैड/एसीडी/बी5/95 है। पत्र में उन्होंने सुझाव दिया है उक्त योजना के अंतर्गत उस अभ्यर्थी को पिछले वर्ष उक्त माता-पिता की आय को ध्यान में रखे बिना आवृत्ति दी जानी चाहिए जिसके आय कमाने वाले माता-पिता की अवानक मृत्यु हो जाने के कारण परिवार आय विहीन हो जाता है।

2. अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जनजाति के वे छात्र, जिनके माता-पिता की आय उक्त योजना के तहत निर्धारित आय सीमा के भीतर हो, योजना की अन्य शर्तों के अनुसार अपनी पात्रता के अध्यक्षीन शामिल किए जाने योग्य हैं। अतः वैसे छात्र जिनके माता-पिता की आय माता-पिता में से एक कमाने वाले सदस्य की दुर्भाग्यवशात् मृत्यु हो जाने के कारण प्रभावित होती है और पात्रता की अन्य शर्तों को पूरा करते हुए उस महीने से आवृत्ति के पात्र हो जाएंगे जिस महीने में इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है। ऐसे छात्रों से आवृत्ति के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर अनुसूचि के आधार पर आवेदन प्रकृष्ट होने की अन्तिम तारीख समाप्त होने के बाद भी विचार किया जा सकेगा।

3. सभी संबंधितों से अनुरोध है कि वे इसका विधिवत प्रचार करें।

श्री.के. गुप्ता

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 3383853

संज्ञा में

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रभारी सचिव।
प्रति प्रति:- सभी आई आई की और केन्द्रीय विश्वविद्यालय-1